

श्री निधि सिंह  
क्र० 1113  
आयुक्त एवं सचिव  
राजस्व परिषद  
उत्तराखण्ड, देहरादून  
23/7/13

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड के राजस्व पुलिस क्षेत्रों में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013

भाग-एक-सामान्य

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 है।  
(2) यह दिनांक 02 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
- सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।
- परिभाषा 3. 'जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -  
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है ;  
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है ;  
(ग) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;  
(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है ;  
(ङ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है ;  
(च) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस 'नियमावली' या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;  
(छ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा अभिप्रेत है ;  
(ज) 'ग्राम' से ऐसा राजस्व ग्राम अभिप्रेत है, जिसके आंशिक अथवा पूर्ण भाग में राजस्व अधिकारियों द्वारा पुलिस कार्यों का सम्पादन किये जाने की वर्तमान राजस्व पुलिस व्यवस्था विद्यमान है ;



- (झ) 'नगर ऐसा अथवा नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत का र, आवासीय कॉलोनी अभिप्रेत है, जिसके आंशिक में राजस्व अधिकारियों द्वारा पुलिस कार्यों का सम्पादन तक्य जाने की वर्तमान राजस्व पुलिस व्यवस्था विद्यमान है ;
- (ञ) 'राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र' से पर्वतीय जिलों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित ऐसा 'लेखपाल हल्का' से भिन्न 'लेखपाल हल्का' अभिप्रेत है, जिसमें सम्मिलित समस्त राजस्व ग्राम एवं नगर क्षेत्र नियमित पुलिस के कार्य क्षेत्र में नहीं आता हो; स्पष्टीकरण- ऐसे समस्त 'लेखपाल हल्के' जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राजस्व पुलिस प्रणाली से आच्छादित हैं, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र की परिभाषा में सम्मिलित होंगे ;
- (ट) 'जिले' से उत्तराखण्ड राज्य के वह समस्त जिले अभिप्रेत हैं, जिनकी सीमा के अन्तर्गत न्यूनतम एक परगना आता हो ;
- (ठ) 'तहसील' से जिले की ऐसी तहसील अभिप्रेत है, जिसकी सीमा के अन्तर्गत न्यूनतम एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र आता हो ;
- (ड) 'परगना' से ऐसा परगना अभिप्रेत है, जिसकी सीमा के अन्तर्गत न्यूनतम एक तहसील हो ;
- (ढ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक अनुदेशों तथा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;
- (ण) "राजस्व परिषद" से राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है ;
- (त) "विभागाध्यक्ष" से अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है ;
- (थ) 'आयुक्त' से कुमाऊँ व गढ़वाल मण्डल के आयुक्त अभिप्रेत है ;
- (द) 'कलेक्टर' से जिले के कलेक्टर अभिप्रेत है ;
- (ध) 'असिस्टैन्ट कलेक्टर' से परगने के भारसाधक असिस्टैन्ट कलेक्टर अभिप्रेत है ;
- (न) 'राजस्व सेवक' से भूलेख अधिष्ठान का ऐसा समूह 'घ' कर्मचारी अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व पर्वतीय पटवारी, पर्वतीय राजस्व निरीक्षकों के साथ पुलिस कार्यों व अन्य विविध कार्यों के सम्पादन हेतु नियुक्त हो।
- (प) "अकादमी" से उत्तरा खण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल अभिप्रेत है ;
- (फ) "कार्यकारी निदेशक" से राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा का कार्यकारी निदेशक अभिप्रेत है ;



- (ब) "संस्थान" से राजस्व पुलिस एवं भूलेख, सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा अभिप्रेत है ;
- (भ) "प्रशिक्षु" से संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (म) "प्रशिक्षण वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है ;
- (य) 'भर्ती का वर्ष' से कलैण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

भाग-दो-संवर्ग

सेवा  
का संवर्ग

4. (1) सेवा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का संवर्ग मण्डलीय संवर्ग होगा ।। सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।
- (2) सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है :

परन्तु यह कि-

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित रख सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ;
- (ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें;
- (ग) नियमावली लागू होने की तिथि को, पूर्व से सेवारत सेवा के सदस्यों की संख्या परिशिष्ट 'क' में दी गई पदों की संख्या से अधिक होने की दशा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को मण्डल के किसी जिले में राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से भिन्न लेखपाल हल्के में, वेतन परिलब्धियों में कोई कटौती किये बगैर, तैनाती दी जा सकेगी :

परन्तु यह कि किसी समय रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर, जब तक कि रिक्तियों को नियमित चयन द्वारा भर नहीं दिया जाता, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में जिले के अन्य लेखपाल हल्कों से लेखपालों का स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य क्षेत्र में तैनात लेखपाल को राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र का अतिरिक्त कार्यभार पुलिस कार्य से भिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु दिया जा सकेगा। इस दौरान ऐसे राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र के ग्राम व नगर क्षेत्र के पुलिस सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन निकटतम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में तैनात राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) द्वारा किया



जायेगा। राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में तैनात लेखपाल द्वारा राजस्व उप निरीक्षक को पुलिस सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन में यथा आवश्यक एवं अपेक्षित सहयोग दिया जाना विधि सम्मत होगा।

### भाग-तीन-भर्ती

भर्ती  
का स्रोत

5. सेवा में राजस्व उप निरीक्षक पदों में भर्ती नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम 29 के अनुसार, सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की, तैयार की गई सूची में से वरिष्ठता क्रम से की जायेगी। विहित प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जायेगा:-
- (क) संवर्ग के 75 प्रतिशत पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन सीधी भर्ती के माध्यम से ;
- (ख) संवर्ग के 25 प्रतिशत पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले राजस्व सेवकों से ;
- परन्तु यह कि पात्र राजस्व सेवक उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों के सापेक्ष खण्ड (क) के अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा सकेगा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

### भाग-चार-अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी-
- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवासित होने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या
- (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवासित होने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो:

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं



किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी:- जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

### सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए

शैक्षिक  
अर्हता

8. नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।

सेवायोजन  
कार्यालय में  
पंजीकरण

9. नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार सीधी भर्ती के चयन के अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसका नाम विज्ञप्ति के प्रकाशन से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

अधिमान  
अर्हता

10. नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर जिन अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन हुआ है, में अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती हेतु विहित प्रशिक्षण के लिए अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो ; या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो,

आयु

11. नियम 5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु, विज्ञप्ति प्रकाशित होने के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलों में जिन्हे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

शारीरिक  
दक्षता

12. पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।



शारीरिक  
मानक

13. पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी० व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी० अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी० की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84, सेमी०, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी० का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी० की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलोग्राम से 58 किलोग्राम के मध्य होना चाहिए।

चरित्र

14. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्त के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक  
प्रस्थिति

15. पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी :

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक  
योग्यता

16. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

राजस्व सेवक से प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया

शैक्षिक  
अर्हता

17. संस्थान में नियम 5 के खण्ड (ख) के अनुसार प्रशिक्षण हेतु राजस्व सेवकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अनिवार्य होगी।



न्यूनतम  
सेवा  
आयु

18. राजस्व सेवक के पद पर न्यूनतम दस वर्ष की सेवा तथा अपने पद पर स्थायी राजस्व सेवक ही प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अर्ह होंगे।
19. संस्थान में नियम 5 के खण्ड (ख) के अनुसार प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आयु, संवर्ग में राजस्व सेवकों के लिए आरक्षित पद की रिक्ति की वर्ष की प्रथम जुलाई को प्रशिक्षण हेतु चयनित राजस्व सेवक की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

(सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए प्रक्रिया)

रिक्तियों की  
अवधारणा

20. संस्थान में नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार विहित प्रशिक्षण के लिए सीधी भर्ती के चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित करेगा और मण्डल के आयुक्त को सूचित करेगा। आयुक्त मण्डल कुल रिक्तियों में से नियम 6 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

प्रशिक्षण  
हेतु चयन  
के लिए  
परीक्षा

21. (1) नियम 20 के अनुसार अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
- (2) प्रशिक्षण हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम व प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।

प्राथमिकता  
का जिला

22. आवेदक से आवेदन-पत्र में प्राथमिकता का एक जिला मांगा जायेगा। अभ्यर्थियों को उसी जिले में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियमावली के नियम 29 के उपनियम (6) के अनुसार नियुक्ति के समय उक्त प्राथमिकता के जनपद में तैनाती पर आयुक्त विचार करेगा।

चयन  
उपरान्त  
प्रशिक्षण

23. प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर एक वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण के  
दौरान  
मानदेय

24. संस्थान में एक वर्ष के प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षु को ₹ 9000.00 प्रतिमाह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दर से मानदेय अनुमन्य होगा। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त मानदेय अनुमन्य नहीं होगा।



(राजस्व सेवकों के प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया)

- रिक्तियों की अवधारणा
- प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया
- चयन उपरान्त प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण के दौरान वेतन
25. मण्डल का आयुक्त तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार राजस्व सेवकों से वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक कलेक्टरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अवधारित करेगा।
26. राजस्व सेवकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। चयन में तत्समय प्रभावी आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
27. प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर एक वर्षीय प्रशिक्षण, तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
28. प्रशिक्षण काल में ऐसे अभ्यर्थियों को वही वेतन दिया जायेगा, जो वे प्रशिक्षण में जाने से पूर्व राजस्व सेवक के पद पर पा रहे थे।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया
29. (1) मात्र प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना सेवा में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। संस्थान से सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही, अन्यथा उपयुक्त होने पर, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा।
- (2) आयुक्त, निम्नलिखित भर्ती के प्रपत्र में भर्ती के प्रयोजनों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में एक सूची रखेगा, जिन्होंने संस्थान से सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

क्रम-संख्या	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	अभ्यर्थी द्वारा आवेदित प्राथमिकता का जिला	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान से परीक्षा/अनुपूरक परीक्षा पास करने का दिनांक	परीक्षा में प्राप्त कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7



- (3) संस्थान का कार्यकारी निदेशक प्रति वर्ष, परीक्षाफल प्रकाशन होने पर मण्डलवार परीक्षाफल तैयार कर विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची संबंधित मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगा।
- (4) मण्डल का आयुक्त सूची में नाम उस प्रवीणता के क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में परीक्षा या अनुपूरक परीक्षा (अनुपूरक से तात्पर्य मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियमों के अधीन दिये गये विशेष अवसर से है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच ज्येष्ठता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, राजस्व सेवकों से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर तथा सीधी भर्ती तथा राजस्व सेवक से चयनित अभ्यर्थी के अंक समान हाने की दशा में राजस्व सेवक को वरीयता प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
- (5) सूची प्रति वर्ष परीक्षाफल प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र पुनरीक्षित की जायेगी।
- (6) सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम मण्डलायुक्त की सूची में हों। आयुक्त जिलों की रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के नामों की सूची कलेक्टर को राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित करेगा, सूची में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नियम 30 में उल्लिखित जिलों में से जिस जिले में पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है उसका भी उल्लेख किया जायेगा। कलेक्टर प्राप्त सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए नियम 30 के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करेंगे।

आयुक्त, नियुक्ति हेतु किसी कलेक्टर को प्रेषित किये जाने वाले सूची में, उन अभ्यर्थियों के नाम विवेकानुसार शामिल कर सकेगा जिनके द्वारा सम्बन्धित जिले का नाम अपने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के जिले के रूप में किया गया है :

परन्तु यह कि आयुक्त सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:-

(क) जो अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों; और



(ख) जो अन्य अभ्यर्थी, जो आयुक्त की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त न समझे गये हों। सूची में से अपना नाम हटाये जाने के विरुद्ध अभ्यर्थी को राजस्व परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा ;

टिप्पणी— यदि किसी रिक्त स्थान पर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर कोई अभ्यर्थी सेवा में आने से इंकार करे, तो उसकी ज्येष्ठता समाप्त मानी जायेगी।

प्रशिक्षण

30. प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्त किये जाने पर आयुक्त द्वारा परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों के मैदानी थानों में तीन माह की अवधि के लिए तैनात किया जायेगा। इस तैनाती के दौरान राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद की प्रास्थिति नियमित पुलिस उप निरीक्षक की होगी तथा इस दौरान संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पुलिस कार्यों के व्यावहारिक ज्ञान की गहन जानकारी उपलब्ध करायेगा और कम से कम दो गैर जमानती अपराधों की पूर्ण विवेचना राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) से कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के अन्त में जिले का पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण-पत्र राजस्व उप निरीक्षक से संबंधित जिले के जिलाधिकारी को निर्धारित प्ररूप में उपलब्ध करायेगा।

भाग-छः-परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

परिवीक्षा

31. (1) सेवा या किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सेवा में योगदान की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।
- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर



का हकदार नहीं होगा।

- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

32. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि उसने—  
(क) नियम 30 में विहित प्रशिक्षण, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;  
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;  
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा  
(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

33. सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (6) के अधीन आयुक्त द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगा:  
परन्तु यह कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी आयुक्त के निर्देश एक ही दिनांक के हों, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 29 के उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।

टिप्पणी— सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी) की एक पद-क्रम सूची (Gradation List) मण्डल में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।

भाग-सात-वेतन आदि

वेतनमान

34. सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिये अनुमन्य वेतन-क्रम ₹ 5200-20200+ ग्रेड-पे ₹ 2800 प्रतिमाह होगा।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

35. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं हो तो, उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, नियम 30 में प्राविधानित अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी



अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

- (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

### भाग-आठ-अन्य प्राविधान

- स्थानान्तरण 36. (1) आयुक्त, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का एक जिले में निरन्तर सात वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वमति से, अन्यथा की स्थिति में कलेक्टर की संस्तुति से मण्डल के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण कर सकेंगे। नियमावली प्रख्यापित होने की तिथि अथवा इसके बाद नियुक्त राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को मण्डल के अन्तर्गत कम से कम तीन जिलों (जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है) में सात-सात वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। मण्डल के जिलों में कलेक्टर, स्वमति से, जिले के भीतर एक तहसील/परगना से दूसरी तहसील/परगना और असिस्टेंट कलेक्टर तहसील/परगने के भीतर एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से दूसरे राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में स्थानान्तरण कर सकता है।
- (2) किसी भी दशा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को अपने स्थाई आवास की गृह तहसील में तैनात नहीं किया जा सकेगा।
- (3) यदि कोई भूखण्ड, अभिलेख क्रियाओं या बन्दोबस्त क्रियाओं के अधीन हो तो सहायक कलेक्टर, कलेक्टर या आयुक्त राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का स्थानान्तरण, यथास्थिति, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं करेंगे :



परन्तु यह कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में निरन्तर तीन वर्ष से अधिक व परगना/तहसील में निरन्तर पांच वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रह सकेगा।

- (4) राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) की एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में तैनाती के दौरान की पदावधि न्यूनतम दो वर्ष की होगी, किन्तु निम्नलिखित कारणों से उसकी दो वर्ष की पदावधि समाप्ति से पूर्व सकारण लिखित आदेश के द्वारा सक्षम प्राधिकारी स्थानान्तरण कर सकेगा:-

(क) उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर या प्रतिनियुक्ति पर जाने पर;  
या

(ख) शारीरिक और मानसिक रोग या अन्यथा अक्षमता से अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर ;

(ग) अनुशासनहीनता, लापरवाही, दुराचरण या अकुशलता की प्रथम दृष्टया प्रारम्भिक जांच में पुष्टि होने पर प्रशासनिक आधार पर।

सर्वेक्षण  
उपकरण

37. सेवा के प्रत्येक सदस्य को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित सर्वेक्षण उपकरण दिये जायेंगे :-

- (क) गुनिया;  
(ख) कंघी;  
(ग) परकार;  
(ङ) आयताकार पैमाना;

निवास

38. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में इस आशय से निर्मित या इस आशय हेतु उपलब्ध कराये गये भवन में ही निवास करना व कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य होगा।

पक्ष  
समर्थन

39. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य  
विषयों  
का  
विनियमन

40. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति के राजकीय कार्यकलाप सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों  
का  
शिथिलीकरण

41. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में







संख्या- 1130/XVIII(1)/2013 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल।



(महावीर सिंह चौहान)  
अनुसचिव



**परिशिष्ट 'क'**  
(नियम 4 का उपनियम (2) और खण्ड (ग) देखें)  
(राजस्व उप निरीक्षक के पदों की जिलेवार संख्या)

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	जिले का नाम	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	अल्मोड़ा	174
2.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	बागेश्वर	36
3.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	चम्पावत	27
4.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	नैनीताल	55
5.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	पिथौरागढ़	116
6.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	देहरादून	33
7.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	चमोली	72
8.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	पौड़ी गढ़वाल	214
9.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	टिहरी	101
10.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	उत्तरकाशी	64
11.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	रूद्रप्रयाग	43
			<b>योग</b>	<b>935</b>

टिप्पणी—सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से राजस्व पुलिस व्यवस्था से बाहर किये गये राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रों की संख्या अथवा भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 21 में लेखपाल हल्कों के पुनर्गठन की व्यवस्था के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये पुनर्गठन से राजस्व पुलिस व्यवस्था से बाहर हुए राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रों की संख्या के बराबर राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत किये गये किसी भी अधिसूचना/आदेश के बिना ही उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित पदों की संख्या में से स्वतः ही कम माने जायेंगे और उक्त कम किये गये पद, जब तक की अन्यथा कोई अधिसूचना अथवा आदेश न किया जाय सम्बन्धित जिले के लिए सृजित लेखपाल के पदों में समायोजित माने जायेंगे। इस प्रकार प्रत्येक जिले में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) और लेखपालों के कुल पदों की संख्या शासन द्वारा जिलों के लिए स्वीकृत राजस्व उप निरीक्षक तथा लेखपाल पदों की कुल पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी और जब तक लेखपालों हेतु निर्धारित पदों पर चयन नहीं होता है तब तक इन पदों पर राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) द्वारा ही लेखपालों के पद से संबंधित समस्त कार्य संपादित किये जायेंगे।



अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में अपेक्षित संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त  
नाम और  
प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 है।

- (2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

नियमावली  
के  
नियम-4  
(1)(2),2  
(ग),5,5  
(क)(ख),  
10(ख),13,  
18,20,21  
(2),22,25,  
29(2)(3)  
(4)(6)  
(क)(ख),  
30,33,36  
(1)(3)।

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 के नियम-4(1)(2),2(ग),5,5(क)(ख),10(ख),13,18,20,21(2),22,25,29(2)(3)(4)(6)(क)(ख),30,33 एवं 36(1)(3) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

वर्तमान में विद्यमान नियम

प्रतिस्थापित नियम

सेवा  
का संवर्ग

4. (1) सेवा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का संवर्ग **मण्डलीय संवर्ग** होगा। सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

सेवा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का संवर्ग **जनपदीय संवर्ग** होगा। सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।











अवसर से है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच ज्येष्ठता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, राजस्व सेवकों से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर तथा सीधी भर्ती तथा राजस्व सेवक से चयनित अभ्यर्थी के अंक समान होने की दशा में राजस्व सेवक को वरीयता प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

विशेष अवसर से है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच ज्येष्ठता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, राजस्व सेवकों से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर तथा सीधी भर्ती तथा राजस्व सेवक से चयनित अभ्यर्थी के अंक समान होने की दशा में राजस्व सेवक को वरीयता प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

- (6) सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम मण्डलायुक्त की सूची में हों। आयुक्त जिलों की रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के नामों की सूची कलेक्टर को राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित करेगा, सूची में संबंधित

सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में हों। कलेक्टर सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस



अभ्यर्थी द्वारा नियम 30 में उल्लिखित जिलों में से जिस जिले में पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है उसका भी उल्लेख किया जायेगा। कलेक्टर प्राप्त सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए नियम 30 के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करेंगे।

आयुक्त, नियुक्ति हेतु किसी कलेक्टर को प्रेषित किये जाने वाले सूची में, उन अभ्यर्थियों के नाम विवेकानुसार शामिल कर सकेगा जिनके द्वारा सम्बन्धित जिले का नाम अपने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के जिले के रूप में किया गया है :

परन्तु यह कि आयुक्त सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:-

- (क) जो अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों; और
- (ख) जो अन्य अभ्यर्थी, जो आयुक्त की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रूप में नियुक्त किये जाने के

अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए नियम 30 के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करेंगे।

कलेक्टर द्वारा अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त तैनाती सुनिश्चित की जायेगी अभ्यर्थी द्वारा तैनाती के स्थल पर कार्य भार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि से तीन माह पश्चात नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

परन्तु यह कि कलेक्टर सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:-

- (क) जो अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों; और
- (ख) जो अन्य अभ्यर्थी, जो कलेक्टर की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त न समझे गये हों।



लिये उपयुक्त न समझे गये हों। सूची में से अपना नाम हटाये जाने के विरुद्ध अभ्यर्थी को राजस्व परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा ;

टिप्पणी- यदि किसी रिक्त स्थान पर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर कोई अभ्यर्थी सेवा में आने से इंकार करे, तो उसकी ज्येष्ठता समाप्त मानी जायेगी।

प्रशिक्षण 30. प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्त किये जाने पर आयुक्त द्वारा परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों के मैदानी थानों में तीन माह की अवधि के लिए तैनात किया जायेगा। इस तैनाती के दौरान राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद की प्रास्थिति नियमित पुलिस उप निरीक्षक की होगी तथा इस दौरान संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पुलिस कार्यों के व्यावहारिक ज्ञान की गहन जानकारी उपलब्ध करायेगा और कम से कम दो गैर जमानती अपराधों की पूर्ण विवेचना राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) से कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के अन्त में जिले का पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण-पत्र राजस्व उप निरीक्षक से संबंधित

प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्त किये जाने पर कलेक्टर द्वारा परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों के मैदानी थानों में तीन माह की अवधि के लिए तैनात किया जायेगा। इस तैनाती के दौरान राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद की प्रास्थिति नियमित पुलिस उप निरीक्षक की होगी तथा इस दौरान संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पुलिस कार्यों के व्यावहारिक ज्ञान की गहन जानकारी उपलब्ध करायेगा और कम से कम दो गैर जमानती अपराधों की पूर्ण विवेचना राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) से कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के अन्त में जिले का पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण सन्तोषजनक



जिले के जिलाधिकारी को निर्धारित प्ररूप में उपलब्ध करायेगा।

रूप से पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण-पत्र राजस्व उप निरीक्षक जिलाधिकारी को निर्धारित प्ररूप में उपलब्ध करायेगा।

ज्येष्ठता 33. सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (6) के अधीन आयुक्त द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगा:

सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (6) के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी आयुक्त के निर्देश एक ही दिनांक के हों, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 29 के उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।

परन्तु यह कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देश एक ही दिनांक के हों, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 29 के उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।

टिप्पणी— सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी) की एक पद-क्रम सूची (Gradation List) मण्डल में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।

टिप्पणी— सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी) की एक पद-क्रम सूची (Gradation List) जनपद में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।



परन्तु यह कि राजस्व उप  
निरीक्षक (पटवारी) एक  
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में  
निरन्तर तीन वर्ष से अधिक व  
परगना/तहसील में निरन्तर  
पांच वर्ष से अधिक अवधि  
तक तैनात नहीं रह सकेगा।

आज्ञा से,


(डी०एस० गर्बाल),  
सचिव



संख्या-1379 / XVIII(1)/2015 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल।

  
(जे0पी0 जोशी)  
अपर सचिव








संख्या- 1580/XVIII(1)/2015 एवं तददिनांकित।  
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इण्टरनेट के माध्यम से प्रसार हेतु।
12. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

  
(जे0पी0 जोशी)  
अपर सचिव।



उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-1753/XVIII(1)/2015-03(3)/2014 T.C-1

देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-12 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान नियम

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

शारीरिक दक्षता

12. पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 09 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)  
सचिव



संख्या - 1753/XVIII(1)/2015 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।

6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इण्टरनेट के माध्यम से प्रसार हेतु।

12. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)  
सचिव